संख्या-1502/2026/1211/22-2-2026-17(653)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2026

विषय:- जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी बिन्दु पत्नी श्री पतिराम वर्मा उर्फ भुर्दुल, निवासिनी जनपद-गोण्डा की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-22148/प्रोबे0-5-दया0बैठक-20.05.2026, दिनांक 09.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी बिन्दु पत्नी श्री पतिराम वर्मा उर्फ भुर्दुल, मइहवा मौजा-ललकपुर, थाना-मनकापुर, जनपद-गोण्डा की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा दहेज में तीन लाख की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 26.09.2021 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर छत्त के हुक से लटकाकर अपनी बहू श्रीमती कांती देवी की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-07/2022 में धारा-498ए, 304 बी आई०पी०सी० व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश गोण्डा के दण्डादेश दिनांक 10.01.2025 द्वारा 10 वर्ष कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-04.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 02 माह, 15 दिन तथा 01 वर्ष, 03 माह, 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 04.09.2025 तक 62 वर्ष है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती बिन्दु पत्नी श्री पतिराम वर्मा उर्फ भुर्दुल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 04.09.2025 तक महिला बन्दी की 62 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 10 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 04.09.2025 तक अपरिहार 01 वर्ष, 02 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 03 माह, 20 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी के स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी बिन्दु (बन्दी संख्या-10/2025) पत्नी श्री पतिराम वर्मा उर्फ भुर्दुल, निवासिनी जनपद-गोण्डा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1502/2026/1211(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

2- अधीक्षक, जिला कारागार गोण्डा।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।